क.

प्रणव वर्मा और अन्य बनाम।

चंडीगढ़ और एएनआर में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का सामान्य पंजीकरण। (2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 565)

13 दिसंबर, 2019

[एस**.** ए**.** बोबडे**,** सीजेआई**,** बी**.** आर**.** गवई और सूर्या कान्ट**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून:चयन-चयन प्रक्रिया के साथ हस्तक्षेप-सिविल न्यायाधीश की मुख्य (लिखित) परीक्षा जिसमें कुल 1195 उम्मीदवार उपस्थित हुए और केवल 9 ने परीक्षा उत्तीर्ण की-असफल उम्मीदवार जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया और उसमें अपनाई गई मूल्यांकन विधि को चुनौती दी गई और परिणाम को रद्द करने और स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई-आयोजित:परीक्षा या इसकी निम्नलिखित प्रक्रियाओं का संचालन करते समय कोई भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए-मूल्यांकन की प्रक्रिया 'समान' थी-प्रत्येक उम्मीदवार के उत्तरों को एक ही परीक्षक द्वारा समान मापदंडों पर चिह्नित किया गया था-कोई परीक्षक परिवर्तनशीलता नहीं थी, लेकिन अंकन और मूल्यांकन विधि सख्त थी, लेकिन यह सभी के लिए था, इस प्रकार, मॉडरेशन का विकल्प लागू किया जाता है-न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा रिपोर्ट का वैकल्पिक II अपनाया जाता है, सिविल लॉ I में 20 अंक और सिविल लॉ II में 10 अंक दिए जाते हैं-एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती है-साथ ही याचिकाकर्ताओं की याचिका कि मुख्य परीक्षा के अंकों को वाइवा-वॉस आयोजित करने से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे पक्षपात या पक्षपात को आमंत्रित किया जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** तत्काल मामले में**,** न्यायमूर्ति सीकरी ने चयन प्रक्रिया के साथ**-**साथ मूल्यांकन विधि की आलोचनात्मक जांच की

एच.

43 ए.

और उनकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 'समान' थी।कई मूल्यांकनकर्ताओं यानी एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया मूल्यांकन सभी अंक**-**पत्रों में एक प्रश्न की जांच और अंकन**,** एकरूपता सुनिश्चित करता है और संयोग श्रेणीकरण को रोकता है।प्रत्येक उम्मीदवार के उत्तरों को एक ही परीक्षक द्वारा समान मापदंडों पर चिह्नित किया जाता है।मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संभवतः कोई अन्य बेहतर तरीका नहीं हो सकता है।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आर**.** टी**.** आई**.** के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई मॉडल 'उत्तर कुंजी' मौजूद नहीं थी।यह मूल्यांकन की पूर्व**-**वर्णित विधि को

अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी मॉडल 'उत्तर कुंजी' तैयार नहीं की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के ज्ञान का आकलन करना नहीं है, बल्कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना भी है।तत्काल मामले में, कोई परीक्षक परिवर्तनशीलता नहीं थी, इसलिए, न्यायमूर्ति सीकरी ने बहुत उपयुक्त टिप्पणी की कि, "यह ठीक था।

ग

मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए इच्छित कदम "।यह विधि

सभी उम्मीदवारों के लिए समान स्तर का खेल का मैदान सुनिश्चित करना।एकमात्र झटका समग्र दृष्टिकोण की कमी और परीक्षक के दिमाग में यथार्थवादी अपेक्षाओं की कमी थी, जिसके लिए पर्याप्त उपाय हैं।[पैरा **14] [60-**जी-एच**; 61-**ए-सी**]**

डी.

1.2 अंकन मानदंड और मूल्यांकन विधि सख्त थी लेकिन यह सभी के लिए थी।यह इस कारण से हो सकता है कि एक मूल्यांकनकर्ता ने प्रत्येक स्क्रिप्ट में एक उत्तर की जाँच की और इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट को चिह्नित किया गया।मूल्यांकनकर्ता एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने में विफल रहे कि एक नए प्रयास में भी भर्ती का स्रोत समान होने की संभावना थी और उम्मीदवारों के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल **8** मिनट थे और समय की कमी ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी।यहां तक कि जिन उम्मीदवारों ने सभी पहलुओं को संक्षेप में शामिल किया, उन्हें भी उचित अंक नहीं दिए गए।यह ऐसा मामला नहीं था जहां कुछ उम्मीदवारों को सख्त अंकन के अधीन किया गया था और अन्य को उदार अंकन का लाभ था, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मूल्यांकन विधि भेदभावपूर्ण या मनमाना थी।[पैरा **15] [61-**डी**-**ई**]**

ई.

च

1.3 यह तथ्य के रूप में पाया गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं को चौबीसों घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों के तहत लोहे के डिब्बों में रखने जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए।इसलिए, यह मानना उचित और उचित है कि कोई भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण प्रथा नहीं की गई थी जबकि ए

जी.

एच.

45

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

परीक्षा आयोजित करना या इसकी निम्नलिखित प्रक्रियाएँ।[पैरा **16] [61-**एफ**-**जी**]**

2.1 यह देखते हुए कि अंकन सख्त था लेकिन भेदभावपूर्ण नहीं था, कई परीक्षकों और समय की कमी के कारण होने वाली भिन्नता को दूर करने के लिए अंकों को कम करने का उपाय ही एकमात्र प्रभावी, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है और सही कहा है कि आर. टी. आई. के अनुसार, अनुग्रह चिह्नों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम नहीं हैं।उन्होंने सुझाव दिया है कि इस मामले में स्केलिंग या मॉडरेशन जैसी कोई भी उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा सकती है, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग **(**यूपीएससी**)** द्वारा प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए और यूपी लोक सेवा आयोग **(**यूपीपीएससी**)** द्वारा न्यायिक भर्तियों के लिए किया जाता है।[पैरा **17] [61-**एच**; 62-**ए**-**बी**]**

ग

2.2 संजय सिंह के मामले में इस अदालत ने माना कि

गहराई से स्केलिंग विधि की उपयुक्तता लेकिन न्यायिक परीक्षाओं के लिए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया।इसने न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए स्केलिंग और मॉडरेशन की व्यवहार्यता पर विचार किया और कहा कि स्केलिंग का उपयोग केवल तभी उचित है जब उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों के बीच अंतर हो।यह उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां विषय समान होते हैं। इसके अलावा**,** मध्यस्थता एक अधिक व्यवहार्य तकनीक है ताकि परीक्षक परिवर्तनशीलता के प्रभाव को बाहर किया जा सके। तत्काल मामले में**,** कोई परीक्षक परिवर्तनशीलता नहीं थी**,** लेकिन अंकन सख्त था**,** इस प्रकार**,** मॉडरेशन के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए।**[**पैरा **18,19] [62-**बी**; 63-**डी**,** एफ**]**

डी.

ई.

संजय सिंह और अन्र बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग

(2007) 3 एससीसी **720:[2007] 1** एस**.** सी**.** आर**. 235-**संदर्भित।

च

2.3 मॉडरेशन अंकों के जोड़ **(**सख्त अंकन के मामले में**)** और**/**या अंकों की कटौती **(**उदार अंकन के मामले में**)** द्वारा हो सकता है।तत्काल मामले में कि सख्त अंकन ने उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है और उनमें से केवल **0.702% 107** रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।उम्मीदवार पिछले पांच वर्षों से परेशान हैं।इसलिए**,** पूर्ण न्याय करना और संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का उपयोग करना अपरिहार्य है और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक प्रदान किए जाते हैं ताकि अधिक उम्मीदवार**,** जो अन्यथा कम न हों।

जी.

एच.

मेधावी**,** वाइवा**-**वॉस के लिए उपस्थित होने का अवसर प्राप्त करें।सवाल यह है कि कितने अनुग्रह अंक दिए जाने चाहिए और किन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।**[**पैरा **20,21] [63-**जी**; 64-**डी**-**ई**]**

तानिया मलिक बनाम। दिल्ली उच्च के महापंजीयक

न्यायालय (2018) 14 एस. सी. सी. 129:[2018] 10 एस. सी. आर. 328-विशिष्ट।

2.4 न्यायमूर्ति सीकरी ने अपनी संक्षिप्त लेकिन विद्वान लेखक रिपोर्ट में अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए तीन विकल्पों का सुझाव दिया है**;** पहला वैकल्पिक नागरिक कानून**-I** में **20** अंक प्रदान कर रहा है**;** दूसरा वैकल्पिक नागरिक कानून**-I** में **20** अंक और नागरिक कानून**-II** में **10** अंक प्रदान कर रहा है**;** और तीसरा वैकल्पिक कुल मिलाकर **35** अंक प्रदान कर रहा है। न्यायमूर्ति सीकरी की रिपोर्ट को देखने के बाद**,** इस संबंध में**,** रिपोर्ट के वैकल्पिक **II** को अपनाना उचित समझा जाता है**,** क्योंकि सिविल लॉ**-I** और सिविल लॉ**-II** दोनों में अंकन सख्त था।सिविल लॉ**-II** का अंकन केवल मामूली रूप से सख्त था। इस प्रकार सिविल लॉ**-II** के पेपर में प्रत्येक उम्मीदवार को **10** अंक और सिविल लॉ**-I** में **20** अंक देकर समानता को अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है। **50** अनुग्रह अंकों को जोड़ने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना व्यवहार्य नहीं पाई जाती है**,** क्योंकि संयम भी उचित दिखना चाहिए।याचिकाकर्ता **50** अनुग्रह अंकों के मॉडरेशन की मांग के लिए कोई अच्छी तरह से स्थापित कारण बताने में विफल रहे हैं**,** केवल इस आशंका पर कि लिखित परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी वाइवा**-**वॉस में बहुत कम अंक दिए गए थे और समिति केवल **8** से **18** अंक दे रही है**,** और इसलिए वे भी न्यूनतम **50** प्रतिशत अंकों के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे।उच्च न्यायालय के लिए सभी रिक्त पदों को भरना अनिवार्य नहीं है**,** भले ही उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।**[**पैरा **22] [64-**एफ**-**एच**; 65-**ए**]**

ग

डी.

ई.

च

2.5 वाइवा**-**वॉयस की आवश्यकता कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।वाइवा**-**वॉस और लिखित परीक्षा **(**मुख्य परीक्षा**),** इस प्रकार**,** चयन प्रक्रिया में दोनों का अपना महत्व है और यह साक्षात्कार पैनल को तय करना है कि साक्षात्कार में उसके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को कितने अंक दिए जाएं।दूसरा**,** चयन समिति का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विशेषाधिकार है और इस न्यायालय को उस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है जो मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है।**[**पैरा **23] [65-**सी**,** ई**-**एफ**]** ए

जी.

एच.

47

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

3. स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए याचिकाकर्ताओं की वैकल्पिक प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।पहला कारण यह है कि ये **107** पद पहले से ही काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं और पुनर्मूल्यांकन से इसमें और देरी होगी।दूसरा**,** न्यायमूर्ति सीकरी ने अनुग्रह अंक देने की सिफारिश करने से पहले तथ्य की स्थिति की पूरी तरह से जांच की है।तीसरा**,** भर्ती नियमों में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा कोई भी निर्देश इसके आदेश के विपरीत होगा।

एच**.** पी**.** लोक सेवा बनाम मुकेश ठाकुर में न्यायालय ने कहा कि

कानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में**,** न्यायालयों को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।**[**पैरा **24] [65-**जी**-**एच**; 66-**ए**]**

ग

एचपी लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश ठाकुर

(2010) 6 एससीसी **759:[2010] 7** एस**.** सी**.** आर**. 189-**निर्भर।

4. जहां तक याचिकाकर्ताओं की इस दलील का संबंध है कि वाइवा**-**वॉस आयोजित करने से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों का खुलासा किया जाना चाहिए**,** इस तरह की प्रथा वांछित पारदर्शिता को कम नहीं कर सकती है**,** बल्कि पक्षपात या पक्षपात की संभावना की आलोचना को आमंत्रित करेगी।इस संबंध में निर्धारित किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों को विभिन्न चयन प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए चयन को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए**,** क्योंकि इस तरह के स्व**-**विकसित मानदंडों को केवल न्यायिक सेवाओं के लिए पुनर्निर्धारित नहीं किया जा सकता है।यदि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य पहले से ही लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों के बारे में जानते हैं**,** तो वे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अंतिम परिणाम को ऐसे उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में झुका सकते हैं।इस प्रकार**,** सुझाए गए उपाय से पक्षपात पैदा होने की संभावना है जो वाइवा**-**वॉस में एक उम्मीदवार के निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रभावित करेगा।चूंकि लिखित परीक्षा एक उम्मीदवार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करती है**,** इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य उनके समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना है जो न्यायिक पद धारण करने के लिए अनिवार्य हैं।इसलिए**,** साक्षात्कारकर्ताओं के मन में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने वाले किसी भी उपाय को समाप्त किया जाना चाहिए।**[**पैरा **27] [66-**जी**; 67-**ए**-**सी**]**

डी.

ई.

च

जी.

अशोक कुमार यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

(1985) 4 एससीसी **417:[1985] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 657-**निर्भर।

एच.

5. उत्तरदाताओं को **2019** की परीक्षा के सभी उम्मीदवारों को सिविल लॉ**-I** के पेपर में **20** अनुग्रह अंक और सिविल लॉ**-II** के पेपर में **10** अनुग्रह अंक देने और सिविल जज **(**जूनियर डिवीजन**)** की मुख्य **(**लिखित**)** परीक्षा के नए परिणाम दो सप्ताह के भीतर तैयार करने और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।पूरी चयन प्रक्रिया **15** फरवरी**, 2020** से पहले पूरी कर ली जाएगी।मलिक मजहर सुल्तान मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार खाली पड़े रिक्त पदों के साथ**-**साथ जो रिक्तियां इस बीच हुई हैं और जो अगले छह महीनों के भीतर अपेक्षित हैं**,** उन्हें जल्द से जल्द विज्ञापित किया जाए और भरा जाए।**[**पैरा **28] [67-**डी**-**एफ**]**

ग

मलिक मजहर सुल्तान बनाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग

(2008) 17 एस**.** सी**.** सी**. 703-**पर निर्भर।

सी. पी. आई. एल. बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक (2017) 11 एस. सी. सी. 456; प्रशांत रमेश चक्रवार बनाम।

यूपीएससी और अन्य (2013) 12 एससीसी 489; सुजाशा मुखर्जी बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय (2015) 11 एससीसी 395:[2015] 2

डी.

एस**.** सी**.** आर**. 480;** लीला धर बनाम राजस्थान राज्य **(1981) 4** एस**.** सी**.** सी**. 159:[1982] 1** एस**.** सी**.** आर**. 320;** प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग **(2004) 6** एस**.** सी**.** सी**. 714:**

[2004] 3 पूरक।एस. सी. आर. 372; सार्वजनिक हित केंद्र

मुकदमा बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक

ई.

(2017) 11 एस**.** सी**.** सी**. 456-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

(2017) 11 एससीसी **456**

संदर्भित किया गया है

पैरा **10.1**

[2007] 1 एससीआर **235**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

च

(2013) 12 एस**.** सी**.** सी**. 489**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[2015] 2 एससीआर **480**

संदर्भित किया गया है

पैरा **13**

[2018] 10 एससीआर **348**

प्रतिष्ठित

पैरा **21**

[1982] 1 एससीआर **320**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

जी.

[2010] 7 एससीआर **189**

पर भरोसा किया

पैरा **24 [2004] 3** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 372** पैरा **25 (2017) 11** एस**.** सी**.** सी**. 456** पैरा **26** ए**.**

एच.

49

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

[1985] 1 पूरक।एससीआर **657** पर भरोसा किया गया

पैरा **27**

(2008) 17 एस**.** सी**.** सी**. 703**

पर भरोसा किया

पैरा **28**

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2019 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 565।

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत]

डब्ल्यू. पी. (C) नहीं. 617/2019 और 651/2019

नीदेश गुप्ता, गुरमिंदर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, प्रशांत भूषण, हेमंत पोथुला, सुश्री तुलिका प्रकाश, रवि पंवार, अशोक माथुर, सुश्री निधि गुप्ता, डी. एस. चौहान, सुश्री रुचि सिंह, प्रशांत कुमार, सुरेंद्र कुमार गुप्ता और सुश्री प्रिया मिश्रा, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

ग

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णय दिया/घोषित किया गयाः

डी.

निर्णय

1. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत ये रिट याचिकाएं हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) परीक्षा-2017 में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की मुख्य (लिखित) परीक्षा में अपनाई गई पूरी चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन पद्धति को चुनौती देने वाले 90 से अधिक उम्मीदवारों के कहने पर दायर की गई हैं और याचिकाकर्ताओं की मुख्य परीक्षा के सभी पत्रों का एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देशों के साथ-साथ निम्न न्यायिक अधिकारियों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायिक सेवा आयोग के गठन के साथ-साथ आई. डी. 1 पर घोषित परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है।

ई.

च

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा)-2017 में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 109 पदों पर भर्ती के लिए 20.03.2017 पर प्रकाशित 2016 की अधिसूचना-सह-विज्ञापन संख्या 6 के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 16.07.2017 पर आयोजित की गई थी।हालाँकि, प्रश्न पत्र-रिसाव के कारण, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 13.09.2017 पर उक्त परीक्षा को रद्द कर दिया।इसके बाद, आई. डी. 1 पर 107 पदों को फिर से अधिसूचित किया गया, जिनमें से 75 सामान्य श्रेणी के लिए थे और शेष 32 अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के लिए थे।

जी.

एच.

50

हरियाणा राज्य के वर्ग (ए), पिछड़े वर्ग (बी), सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, पूर्व सेवा पुरुष और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

3. यह परीक्षा पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की गई थी, जो हरियाणा राज्य पर लागू होते हैं और समय-समय पर अधिसूचना संख्या सहित संशोधित किए जाते हैं। जीएसआर 1/कॉन्स्ट।/Art.234 और 309/2017 दिनांकित 09.01.2017।इस परीक्षा में तीन चरण शामिल थे -

(I) प्रारंभिक परीक्षा

(II) मुख्य परीक्षा

ग

(III) वाइवा वॉस

4. प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम परिणामों के लिए नहीं गिना जाना था।इसका उद्देश्य केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना था।विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के 10 गुना के बराबर उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में बैठने में सक्षम बनाने के लिए संबंधित श्रेणियों में उनकी योग्यता के क्रम में चुना गया था।यदि अंतिम संख्या में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों को समान अंक मिलते हैं, तो उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य माना जाता है, जो निर्धारित अनुपात में इसी वृद्धि की गारंटी देता है।

डी.

5. मुख्य परीक्षा में पांच पेपर शामिल थे-सिविल लॉ-I, सिविल लॉ-II, क्रिमिनल लॉ, अंग्रेजी और हिंदी।पहले चार पेपर 200 अंकों के थे और हिंदी 100 अंकों के लिए थी।मौखिक परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को प्रत्येक लिखित परीक्षा में न्यूनतम 33 प्रतिशत अंक और सभी पांच पेपरों में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक (आरक्षित श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत) प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।यह ध्यान देने योग्य है कि वाइवा-वॉयस भी मुख्य परीक्षा का एक हिस्सा है और इसे 200 अंकों का छठा पेपर माना जाता है।नियमों के अनुसार मौखिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं।लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विज्ञापित पदों के तीन गुना के बराबर उम्मीदवारों को वाइवा-वॉस के लिए उपस्थित होने के लिए योग्यता के क्रम में सख्ती से बुलाया जाता है।पाँच पेपरों में प्राप्त अंकों को विवा वॉस में प्राप्त अंकों के साथ समेकित किया जाता है और तदनुसार एक अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाती है।

ई.

च

जी.

6. पुनः अधिसूचित रिक्तियों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा 22.12.2018 पर आयोजित की गई थी और इसका परिणाम 21.01.2019 पर घोषित किया गया था।मुख्य परीक्षा 15.03.2019 से 17.03.2019 तक आयोजित की गई थी।मुख्य परीक्षा के परिणाम 11.04.2019 पर घोषित किए गए थे जिसमें केवल 9 उम्मीदवारों (सामान्य श्रेणी के 6 और आरक्षित श्रेणी के 3) को योग्य घोषित किया गया था

एच.

और विवा वॉस के लिए उपयुक्त पाया गया।चयन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में उपस्थित होने/अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या का पूरा विवरण इस प्रकार हैः–

उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए 14301 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य हुए

1282

उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए

1195

9(6+3)

विवा वॉस के लिए योग्य पाए गए उम्मीदवार

7. वाइवा वॉस के लिए योग्य उम्मीदवारों में से उनके बहिष्कार से व्यथित और यह तर्क देते हुए कि पूरी चयन प्रक्रिया अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है और निम्नलिखित के आलोक में हस्तक्षेप की मांग की हैः

ग

ए। घोषित परिणाम के अनुसार, केवल 0.702% उम्मीदवार मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल रहे और बाकी 99.298% असफल रहे।इसके लिए स्पष्टीकरण दिया गया था कि कोई भी अन्य उम्मीदवार प्रत्येक विषय में न्यूनतम 33 प्रतिशत और सभी पांचों में कुल 50 प्रतिशत (आरक्षित श्रेणी के लिए 45 प्रतिशत) हासिल नहीं कर सका।

डी.

बी। आर. टी. आई. के माध्यम से प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए कोई अंकन मानदंड या मॉडल उत्तर कुंजी नहीं थी।उम्मीदवारों का प्रदर्शन पूरी तरह से परीक्षक (ओं) के विवेक पर निर्भर करता है।इसके अलावा, अनुग्रह चिह्नों को नियंत्रित करने वाले कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं थे।

ई.

ग. उच्च न्यायालय ने अर्हता प्राप्त नहीं करने वाले उम्मीदवारों के अंकों के प्रकटीकरण के बिना भुगतान पुनः जांच का एक अप्रभावी और निष्फल उपाय प्रदान किया है।

8. इस न्यायालय ने 29.04.2019 पर उच्च न्यायालय के महापंजीयक को मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।<आई. डी. 1 पर, याचिकाकर्ताओं की शिकायतों पर विचार करने के बाद, माननीय श्री ए. के. सीकरी, जे., सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश से अनुरोध किया गया था कि वे मुख्य परीक्षा की कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को देखें ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि क्या मूल्यांकन न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।आई. डी. 1 पर, न्यायमूर्ति सीकरी ने उत्तर पुस्तिकाओं के गहन अंतर्दृष्टि और गहन मूल्यांकन के बाद सर्वोपरि महत्व के मूल्यवान सुझावों के साथ अपनी रिपोर्ट दी।

च

जी.

माननीय न्यायाधीश **(**सेवानिवृत्त**)** की रिपोर्ट ए**.** के**.** सीकरी दिनांकित **31.07.2019**

एच.

9. न्यायमूर्ति सीकरी ने चयन प्रक्रिया के साथ-साथ मुख्य परीक्षा में उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन विधि का मूल्यांकन किया है और विभिन्न शीर्षों के तहत निम्नलिखित राय दी हैः

9.1 चयन प्रक्रिया-यह देखा गया है कि चयन प्रक्रिया प्रथम दृष्टया त्रुटिहीन है।परीक्षा के समन्वयक उच्च योग्य व्यक्ति अर्थात राष्ट्रीय विधि विद्यालयों के कुलाधिपति या बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर थे, जिन्होंने भर्ती समिति को प्रश्न बैंक प्रदान किया था।इस आधार पर, भर्ती समिति ने मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार किए।परीक्षा केंद्र प्रभारी ने सीलबंद लोहे के डिब्बों में 1195 उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं कुलसचिव-भर्ती को सौंपी।इन लोहे के डिब्बों को चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी में रखा गया था। इसके अलावा, मूल्यांकन से पहले उत्तर पुस्तिकाओं पर अनुक्रमांक छिपाए गए थे।कई अन्य पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए गए।

ग

9.2 मूल्यांकन विधि-मुख्य परीक्षा में अपनाई गई मूल्यांकन विधि पर मूल्यांकन करने के लिए, न्यायमूर्ति सीकरी ने यादृच्छिक रूप से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 5 उम्मीदवारों और 5 याचिकाकर्ताओं की लिपियों का चयन किया।ये उत्तर पुस्तिकाएँ उन्हें दिल्ली में कड़ी सुरक्षा में प्रदान की गई थीं।इसके अलावा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, उन्होंने कुछ अन्य उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की, जिन्होंने मुख्य परीक्षा (याचिकाकर्ताओं के अलावा) उत्तीर्ण नहीं की थी, जिसके लिए उन्होंने दो अवसरों-24.05.2019 और 11.06.2019 पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दौरा किया था।

डी.

ई.

9.3 सभी लिपियों का मूल्यांकन करने का उद्देश्य योग्य उम्मीदवारों को दिए गए अंकों की तुलना उन लोगों से करना था जो अपने उत्तरों की गुणवत्ता को देखकर अर्हता प्राप्त नहीं करते थे।उन्होंने सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की सूची पर भी एक नज़र डाली।

च

9.4 प्रेक्षणः

न्यायमूर्ति सीकरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आपराधिक कानून, अंग्रेजी और हिंदी के पेपरों के लिए किया गया मूल्यांकन उचित था।उन्होंने सिविल लॉ-I के पेपर में मुख्य समस्या की पहचान की और पाया कि इस पेपर में कुल 18 प्रश्न थे और वे सभी अनिवार्य थे।पेपर खत्म करने का कुल समय 3 घंटे यानी 180 मिनट था।उन्होंने एक आकलन किया कि अगर पढ़ने के लिए 27 मिनट निकाले जाते हैं और ए

जी.

एच.

प्रश्नों को समझना (प्रति प्रश्न डेढ़ मिनट), फिर उम्मीदवार के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए साढ़े आठ मिनट बचे थे।प्रश्न वर्णनात्मक प्रकृति के थे।यह ध्यान देने योग्य है कि तीन विधि पत्रों का मूल्यांकन पंद्रह मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा एक मूल्यांकनकर्ता को एक प्रश्न आवंटित करके किया गया था।इस प्रकार, एक प्रश्न का मूल्यांकन एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा केवल सभी उत्तर लिपियों में किया गया था और इस तरह से प्रत्येक उत्तर लिपियों की जांच कई मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की गई थी।इस प्रकार वे निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचेः

• सिविल लॉ की मार्किंग-I सख्त थी।ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्यांकनकर्ता सभी पहलुओं को विस्तार से शामिल करते हुए प्रत्येक प्रश्न के लिए लंबे उत्तरों की उम्मीद करते हैं, यह स्वीकार किए बिना कि उम्मीदवारों के पास मुश्किल से कोई समय है। यहां तक कि जिन उम्मीदवारों ने सभी पहलुओं को संक्षेप में शामिल किया, उन्हें भी अच्छे अंक नहीं दिए गए।

ग

• सिविल लॉ में उच्चतम अंक-I 200 में से 95 थे अर्थात 47.5%।यहां तक कि यह उम्मीदवार अधिक अंकों का हकदार था।

डी.

• कई मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन प्राप्त करने की विधि का उद्देश्य एकरूपता प्राप्त करना था। हालांकि, इसका एक बड़ा परिणाम यह था कि मूल्यांकनकर्ताओं को उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन को देखने और समग्र दृष्टिकोण रखने का कोई अवसर नहीं मिला।मूल्यांकनकर्ताओं के मन में एक यथार्थवादी अपेक्षा होती अगर वे केवल एक उत्तर की जाँच करने के बजाय पूरी उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच करते।

ई.

• पेपर मुश्किल नहीं था लेकिन बहुत लंबा था।अधिकांश प्रश्न वर्णनात्मक थे, कुछ नंगे प्रावधानों की प्रतिकृति थे।परीक्षक को लंबे उत्तरों की उम्मीद थी, लेकिन प्रश्न बहुत अधिक थे और अंकन बेहद सख्त था।

च

• सिविल लॉ-II के लिए-सिविल लॉ में बताए गए गुण-I मौजूद नहीं थे।हालाँकि, यह ध्यान दिया गया कि उत्तर सही होने पर भी उपयुक्त अंक नहीं दिए गए थे।मामूली रूप से सख्त अंकन था।

जी.

9.5 सुझाव

न्यायमूर्ति सीकरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अंकों को कम करके स्थिति को ठीक किया जा सकता है ताकि अधिक छात्र विवा वॉस में उपस्थित होने के लिए मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें।सिविल लॉ-1 में कुल 311 उम्मीदवारों ने 33 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए

एच.

पेपर लेकिन वे कुल 50 प्रतिशत अंक हासिल नहीं कर सके जिससे उनका अंतिम परिणाम प्रभावित हुआ।तदनुसार, उन्होंने उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित तीन विकल्पों का सुझाव दिया है:–• वैकल्पिक I-20 अनुग्रह अंक यानी सिविल लॉ-I में 10 प्रतिशत दिए जाएंगे। इसका उपयोग करते हुए, 28 और उम्मीदवार (15 सामान्य + 13 आरक्षित) वाइवा वॉस के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, जिससे योग्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 37 हो जाएगी।

• वैकल्पिक II-सिविल लॉ-I के पेपर में सभी उम्मीदवारों को 10 प्रतिशत और सिविल लॉ-II के पेपर में सभी उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में 10 प्रतिशत यानी 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे।कुल मिलाकर 30 अंक बढ़ेंगे।इसका उपयोग करते हुए, 60 (33 सामान्य + 27 आरक्षित) उम्मीदवार विवा वॉस में प्रवेश करेंगे, जिससे योग्य उम्मीदवारों की संख्या 69 हो जाएगी।

ग

• वैकल्पिक III-सभी उम्मीदवारों को 35 अंक देकर मॉडरेशन किया जाना चाहिए।इससे मौजूदा 9 उम्मीदवारों की संख्या में 42 सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार और 23 आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जुड़ेंगे, जिससे कुल संख्या 74 हो जाएगी।

डी.

समापन टिप्पणी में, न्यायमूर्ति सीकरी ने वैकल्पिक I के उपयोग की सिफारिश की है, लेकिन बड़े पैमाने पर रिक्तियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने दो अन्य विकल्प भी सुझाए हैं जिनके आधार पर अधिक उम्मीदवार वाइवा-वॉस के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।

ई.

याचिकाकर्ताओं की दलीलें:

10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, श्री प्रशांत भूषण ने शुरुआत में पुनः अधिसूचित विज्ञापन के अनुसार, सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए आवंटित रिक्तियों की संख्या के संबंध में सीकरी, जे. की रिपोर्ट में एक अनजाने में लिपिकीय त्रुटि की ओर इशारा किया है।गुण-दोष के आधार पर, उनकी प्रस्तुतियों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

च

10.1 याचिकाकर्ताओं द्वारा माँगा गया पहला विकल्प एक स्वतंत्र प्राधिकरण द्वारा सिविल लॉ-I और सिविल लॉ-II दोनों पेपरों का पुनर्मूल्यांकन है क्योंकि इन पेपरों में सख्त अंकन था।इसके लिए याचिकाकर्ता सीपीआईएल में निर्धारित मानकों पर जोर देते हैं

जी.

बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक 1.

10.2 दूसरा वैकल्पिक निवेदन यह है कि सभी उम्मीदवारों को 50 अनुग्रह अंक दिए जा सकते हैं, इसलिए उम्मीदवारों की संख्या

1 (2017) 11 एससीसी 456 ए

एच.

55

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

विवा वॉस के लिए अर्हता प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़कर 150-160 (उपलब्ध रिक्तियों की संख्या का लगभग डेढ़ गुना) हो जाएगी।यह रेखांकित किया जाता है कि 2014 से हरियाणा न्यायिक सेवा में कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

10.3 मौखिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पर्याप्त उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की सख्त आवश्यकता है ताकि यह ध्यान में रखते हुए कोई सीट खाली न रह जाए कि कई उम्मीदवारों का चयन पहले ही विभिन्न अन्य राज्य न्यायिक सेवाओं के लिए किया जा चुका है।31 याचिकाकर्ताओं को पहले ही विभिन्न न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किया जा चुका है और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले 1195 उम्मीदवारों में से कई और नियुक्त किए गए होंगे।यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ उम्मीदवारों के हरियाणा न्यायिक सेवा साक्षात्कार प्रक्रिया या नियुक्ति छोड़ने की संभावना है।

ग

10.4 याचिकाकर्ता एक नई परीक्षा आयोजित करने के विचार का विरोध करते हैं क्योंकि यह केवल उम्मीदवारों की कठिनाइयों को बढ़ाएगा, विशेष रूप से जब वे पहले ही उक्त प्रक्रिया में दो बार उपस्थित हो चुके हैं।

डी.

10.5 याचिकाकर्ताओं ने छह पेपरों (मुख्य परीक्षा के पांच पेपर और छठी वाइवा-वॉस सहित) में कुल मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के मानदंडों पर प्रकाश डाला है और वाइवा-वॉस में कम अंक प्राप्त करने की आशंका व्यक्त की है, जिसके कारण वे पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए न्यूनतम कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे।आशंका का कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा गठित उसी भर्ती समिति ने बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को केवल 8 से 18 अंक दिए हैं, भले ही उन्होंने लिखित परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हों।इसलिए, इस न्यायालय को एक मॉडरेशन तकनीक का उपयोग करना चाहिए जिसके द्वारा सीट के योग्य उम्मीदवार इसे प्राप्त कर सकें।

ई.

च

10.6 जे. सीकरी द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक III के अनुसार 74 उम्मीदवार जो विवा वॉस के लिए उपस्थित होने में सफल होंगे, वे केवल न्यूनतम अंकों यानी 900 में से 450 अंकों को छूएंगे और यदि वे विवा वॉस में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो पूरी कवायद व्यर्थ हो जाएगी।

जी.

10.7 याचिकाकर्ता, इस प्रकार, विभिन्न परीक्षकों, विभिन्न कठिनाई स्तरों वाले कई वैकल्पिक विषयों जैसे कारकों के कारण होने वाली भिन्नता को दूर करने के लिए मॉडरेशन और स्केलिंग वैज्ञानिक तकनीकों का सुझाव देते हैं।

एच.

या सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य विषयों के विभिन्न कठिनाई स्तर।उनके अनुसार, इन तरीकों का उपयोग यूपीएससी द्वारा प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए और यूपीपीएससी द्वारा न्यायिक भर्तियों के लिए किया जाता है।

10.8 याचिकाकर्ताओं और अन्य उम्मीदवारों को पिछले 5 वर्षों में परीक्षा की तारीखों और निष्पक्ष चयन और नियुक्तियों की प्रत्याशा में बहुत नुकसान हुआ है।निरंतर अनिश्चितता के कारण वे किसी अन्य कैरियर विकल्प में खुद को शामिल नहीं कर सके।

10.9 प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त नाम और विषय के अंकों को मुख्य परीक्षा के बाद और वाइवा वॉस से पहले एक समेकित सूची में प्रकट किया जाना चाहिए।पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली, राजस्थान आदि में भी इसी तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

ग

10.10 मलिक मजहर सुल्तान बनाम में दी गई समयरेखाएँ। यू. पी. पब्लिक

सेवा आयोग 2 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।उत्तरदाताओं को अगले परीक्षा चक्र को समयबद्ध तरीके से आयोजित करना चाहिए।11. दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एस/श्री नीदेश गुप्ता और गुरमिंदर सिंह ने याचिकाकर्ताओं के दावे का कड़ा विरोध किया और आग्रह किया कि चूंकि न्यायमूर्ति सीकरी ने चयन प्रक्रिया में कोई गलती या अवैधता नहीं पाई है, जो सख्त प्रशासनिक निगरानी के तहत सबसे निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से आयोजित की गई है, इसलिए इस न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।उन्होंने आग्रह किया कि न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को स्वीकार करके परीक्षा के मानकों को कम नहीं किया जाना चाहिए और रिक्त पदों का पुनः विज्ञापन करना और नए सिरे से चयन करना उचित उपाय होगा।

डी.

ई.

च

विचार के लिए मुद्दे

12. प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और न्यायमूर्ति सीकरी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सराहना करने पर, ऐसा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः

((i) क्या चयन प्रक्रिया और मूल्यांकन विधि अन्यायपूर्ण, मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?

जी.

((ii) क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अंकों (अनुग्रह चिह्न) में संयम की आवश्यकता है?

2 (2008) 17 एससीसी 703 ए

एच.

57

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

((iii) क्या एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा सिविल लॉ-I और सिविल लॉ-II के पत्रों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है?

(iv) क्या मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों का खुलासा वाइवा-वॉस आयोजित करने से पहले किया जाता है?

मुद्दों का विश्लेषणः

रीःमुद्दा **1**

13. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मूल्यांकन बिना किसी अंकन मानदंड के किया गया है, इसमें एकरूपता का अभाव है और यह इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्णयों में लिए गए दृष्टिकोण का उल्लंघन है -

ग

• संजय सिंह और अन्र बनाम यू. पी. लोक सेवा आयोग 3• प्रशांत रमेश चक्रवार बनाम यूपीएससी और अन्य 4

• सुजाशा मुखर्जी बनाम कलकत्ता उच्च न्यायालय 5

• सीपीआईएल बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक 6

डी.

13.1 संजय सिंह (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने विश्लेषणात्मक रूप से परीक्षा की योजना की गहराई में जाकर न्यायिक सेवा परीक्षा के मामले में अंकों के मॉडरेशन के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए।यह इस प्रकार आयोजित किया गया थाः

“23. जब बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं, तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में एकरूपता और निरंतरता होना आवश्यक है।जहां परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक (अधिमानतः पेपर-सेटर स्वयं) उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन करता है, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी।लेकिन जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा देते हैं, वहां एक ही परीक्षक द्वारा सभी उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा।इसलिए, मूल्यांकन के लिए कई परीक्षकों के बीच उत्तर-लिपियों को वितरित करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पेपर-सेटर (या अन्य वरिष्ठ व्यक्ति) प्रमुख परीक्षक के रूप में कार्य करता है।जब एक से अधिक परीक्षक किसी विषय से संबंधित उत्तर-लिपियों का मूल्यांकन करते हैं, तो विषय की व्यक्तिपरकता

ई.

च

जी.

3 (2007) 3 एससीसी 720 4 (2013) 12 एससीसी 489 5 (2015) 11 एससीसी 395 6 (2017) 11 एससीसी 456

एच.

संबंधित परीक्षक मूल्यांकन के लिए उसे आवंटित उत्तर-लिपियों में उसके द्वारा दिए गए अंकों की जांच करेगा।प्रत्येक परीक्षक उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन करने के लिए अपना पैमाना लागू करेगा।इसलिए अनिवार्य रूप से, जब अनुभवी परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के समान बैच प्राप्त होते हैं, तब भी औसत अंकों और दिए गए अंकों की सीमा में अंतर होता है, जिससे व्यक्तिगत उम्मीदवारों की योग्यता प्रभावित होती है।इसके अलावा, 'हॉक-डव' प्रभाव होता है।कुछ परीक्षक मूल्यांकन में उदार होते हैं और अधिक अंक देने की प्रवृत्ति रखते हैं।कुछ परीक्षक सख्त होते हैं और कम अंक देते हैं।कुछ अंक देने में मध्यम और संतुलित हो सकते हैं।यहां तक कि जो उदारवादी हैं या जो सख्त हैं, उनमें भी सख्ती या उदारता के स्तर में भिन्नता हो सकती है।इसका मतलब है कि यदि एक ही उत्तर-लिपि अलग-अलग परीक्षकों को दी जाती है, तो अलग-अलग अंक दिए जाने की पूरी संभावना है।यदि एक बहुत अच्छी तरह से लिखी गई उत्तर-लिपि एक सख्त परीक्षक के पास जाती है और एक औसत दर्जे की उत्तर-लिपि एक उदार परीक्षक के पास जाती है, तो औसत दर्जे की उत्तर-लिपि को उत्कृष्ट उत्तर-लिपि की तुलना में अधिक अंक दिए जा सकते हैं।दूसरे शब्दों में, एक सख्त परीक्षक द्वारा 'कम मूल्यांकन' और एक उदार परीक्षक द्वारा 'बढ़े हुए मूल्यांकन' होता है।इसे 'परीक्षक परिवर्तनशीलता' या 'हॉक-डव प्रभाव' के रूप में जाना जाता है।अतएवं एक

ग

डी.

ई.

परीक्षकों के बीच एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता है ताकि 'परीक्षक व्यक्तिपरकता' या 'परीक्षक परिवर्तनशीलता' के प्रभाव को कम किया जा सके।परीक्षक की व्यक्तिपरकता या परिवर्तनशीलता को कम करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया है **-**

मॉडरेशन के रूप में जाना जाता है।मॉडरेशन की क्लासिक विधि इस प्रकार हैः

च

(i) विषय का पेपर-सेटर आम तौर पर विषय के लिए प्रमुख परीक्षक के रूप में कार्य करता है।उनका चयन वरिष्ठ शिक्षाविदों/विद्वानों/वरिष्ठ सिविल सेवकों/न्यायाधीशों में से किया जाता है।जहां बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के मामले में, एक से अधिक परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं और उनमें से प्रत्येक को मूल्यांकन के लिए लगभग 300 उत्तर-पट्टियाँ आवंटित की जाती हैं।

जी.

((ii) मूल्यांकन में एकरूपता प्राप्त करने के लिए, जहां एक से अधिक परीक्षक शामिल हैं, परीक्षा के तुरंत बाद सभी परीक्षकों के साथ प्रमुख परीक्षक की एक बैठक आयोजित की जाती है।

एच.

क.

वे प्रश्न पत्र, संभावित उत्तरों और उत्तरों के विभिन्न पहलुओं को दिए जाने वाले महत्व पर अच्छी तरह से चर्चा करते हैं।वे अपनी चर्चाओं के आलोक में एक नमूना मूल्यांकन भी करते हैं।उनमें से प्रत्येक द्वारा लिपियों के नमूना मूल्यांकन की समीक्षा प्रमुख परीक्षक द्वारा की जाती है और अंक निर्धारित करने में भिन्नताओं पर आगे चर्चा की जाती है।इस तरह की चर्चाओं के बाद, अपनाए जाने वाले मूल्यांकन के मानदंडों के संबंध में आम सहमति बन जाती है।उस आधार पर, परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करना आवश्यक है।लेकिन यह अपने आप में परीक्षकों के बीच मूल्यांकन की एकरूपता नहीं लाता है।सहमत मानदंडों के बावजूद, कई परीक्षक अपेक्षित या सहमत मानदंडों से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सावधानी मूल्यांकन के दौरान सख्ती या उदारता या कामुकता या लापरवाही के लिए उनकी प्रवृत्ति से आगे निकल जाती है।इसलिए, कुछ और सुधारात्मक कदम आवश्यक हो जाते हैं।

ग

(iii) परीक्षकों द्वारा मूल्यांकन पूरा होने के बाद, प्रमुख परीक्षक यह सत्यापित करने के लिए कि क्या परीक्षक की बैठकों में विकसित मानदंडों का वास्तव में परीक्षकों द्वारा पालन किया गया है, सही उत्तर लिपियों का एक यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षण करता है।यादृच्छिक नमूनाकरण की प्रक्रिया में आमतौर पर कुछ शीर्ष-स्तरीय उत्तर लिपियों की जांच और प्रत्येक परीक्षक द्वारा मूल्यवान उत्तर लिपियों के बैचों से यादृच्छिक रूप से चुनी गई कुछ उत्तर पुस्तिकाएं शामिल होती हैं।प्रत्येक परीक्षक की शीर्ष-स्तरीय उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन प्रमुख परीक्षक द्वारा किया जाता है जो एकरूपता प्राप्त करने के लिए अंकों के पुरस्कार में ऐसे सुधार या परिवर्तन करता है जिन्हें वह अपने निर्णय में सबसे अच्छा मानता है।(इस उद्देश्य के लिए, यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक परीक्षक के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न अंकों की सीमा में उम्मीदवारों का वितरण, अंकों का औसत प्रतिशत, अंकों का उच्चतम और न्यूनतम पुरस्कार आदि जैसे कुछ आंकड़े भी तैयार किए जा सकते हैं।)

डी.

ई.

च

(iv) प्रत्येक परीक्षक द्वारा अपनाए गए मानकों का पता लगाने या मूल्यांकन करने के बाद, प्रमुख परीक्षक बिना किसी बदलाव के अंकों के पुरस्कार की पुष्टि कर सकता है यदि परीक्षक ने सहमत मानदंडों का पालन किया है, या ऊपर या नीचे मॉडरेशन का सुझाव दिया है, जिसमें मॉडरेशन की मात्रा उदारता या सख्ती की डिग्री के अनुसार भिन्न होती है।

जी.

एच.

चिह्नित करना।प्रमुख परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन की गई शीर्ष स्तर की उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में, उनके अंकों के पुरस्कार को अंतिम के रूप में स्वीकार किया जाता है।जहां तक शीर्ष स्तर से नीचे की अन्य उत्तर पुस्तिकाओं का संबंध है, परीक्षकों के बीच एकरूपता के अधिकतम माप को प्राप्त करने के लिए, पुरस्कारों को प्रमुख परीक्षक द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है।

(v) यदि प्रमुख परीक्षक की राय में किसी भी परीक्षक द्वारा अनियमित या लापरवाही से अंकन किया गया है, जिसके लिए कोई मानक मॉडरेशन करना संभव नहीं है, तो ऐसे परीक्षक द्वारा मूल्यवान उत्तर लिपियों का या तो प्रमुख परीक्षक या किसी अन्य परीक्षक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिन्होंने सहमत मानदंडों का पालन किया है।

ग

(vi) जहां उम्मीदवारों की संख्या बहुत अधिक है और परीक्षकों की संख्या अधिक है, वहां एक प्रमुख परीक्षक के लिए सभी परीक्षकों के काम का आकलन करना मुश्किल हो सकता है।ऐसी स्थिति में, परीक्षकों का एक और स्तर शुरू किया जाता है।

प्रत्येक दस या बीस परीक्षकों के लिए, एक प्रमुख परीक्षक होगा जो उपरोक्त यादृच्छिक नमूनों की जांच करेगा।मुख्य परीक्षकों के काम की, बदले में, उचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य परीक्षक द्वारा जाँच की जाती है।

डी.

'संयम' की उपरोक्त प्रक्रिया काफी एकरूपता और निरंतरता लाएगी।

ई.

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल्यांकन में पूर्ण एकरूपता या निरंतरता प्राप्त करना असंभव है जहां कई परीक्षक हैं और प्रयास केवल अधिकतम एकरूपता प्राप्त करने के लिए है।"

च

[जोर दिया गया]

13.2 याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत अन्य तीन मामलों में संजय सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।

अर्थात्। प्रशांत रमेश चक्रवार (ऊपर), सुजाशा मुखर्जी

(ऊपर) और सी. पी. आई. एल. (ऊपर)।

जी.

14. तत्काल मामले में, न्यायमूर्ति सीकरी ने चयन प्रक्रिया के साथ-साथ मूल्यांकन विधि की आलोचनात्मक जांच की और उनकी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया 'समान' थी।हमारा विचार है कि कई मूल्यांकनकर्ताओं यानी एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन से सभी अंक-पत्रों में एक प्रश्न की जांच और उसे चिह्नित करने से एकरूपता सुनिश्चित होती है और ए

एच.

61

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

मौका श्रेणीकरण को रोकता है।प्रत्येक उम्मीदवार के उत्तरों को एक ही परीक्षक द्वारा समान मापदंडों पर चिह्नित किया जाता है। मूल्यांकन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए संभवतः कोई अन्य बेहतर तरीका नहीं हो सकता है।याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि आर. टी. आई. के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई मॉडल 'उत्तर कुंजी' मौजूद नहीं थी।यह मूल्यांकन की पूर्व-वर्णित विधि को अधिक विश्वसनीयता प्रदान करता है क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई भी मॉडल 'उत्तर कुंजी' तैयार नहीं की जानी चाहिए, जिसका उद्देश्य केवल उम्मीदवारों के ज्ञान का आकलन करना नहीं है, बल्कि उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन करना भी है।वर्तमान मामले में, कोई परीक्षक परिवर्तनशीलता नहीं थी, इसलिए, न्यायमूर्ति सीकरी ने बहुत

उचित रूप से टिप्पणी की कि, "एकरूपता प्राप्त करने के लिए यह एक सुविचारित कदम था

मूल्यांकन में "।यह विधि सभी उम्मीदवारों के लिए समान स्तर के खेल का मैदान सुनिश्चित करती है।एकमात्र झटका समग्र दृष्टिकोण की कमी और परीक्षक के दिमाग में यथार्थवादी अपेक्षाओं की कमी थी, जिसके लिए पर्याप्त उपाय हैं जैसा कि इस क्रम के बाद के भाग में चर्चा की गई है।

ग

15. अंकन मानदंड और मूल्यांकन विधि सख्त थी लेकिन यह सभी के लिए थी।यह इस कारण से हो सकता है कि एक मूल्यांकनकर्ता ने प्रत्येक स्क्रिप्ट में एक उत्तर की जाँच की और इस तरह से पूरी स्क्रिप्ट को चिह्नित किया गया।मूल्यांकनकर्ता

एक व्यावहारिक दृष्टिकोण रखने में विफल रहे कि एक नए प्रयास में भी भर्ती का स्रोत समान होने की संभावना थी और उम्मीदवारों के पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 8 मिनट थे और समय की कमी ने उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी।यहां तक कि जिन उम्मीदवारों ने सभी पहलुओं को संक्षेप में शामिल किया, उन्हें भी उचित अंक नहीं दिए गए।संजय सिंह के मामले (उपरोक्त) में दिए गए काल्पनिक चित्रण के विपरीत, यह ऐसा मामला नहीं था जहां कुछ उम्मीदवारों को सख्त अंकन के अधीन किया गया था और अन्य को उदार अंकन का लाभ था, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि मूल्यांकन विधि भेदभावपूर्ण या मनमाना थी।

डी.

ई.

च

16. यह तथ्य के रूप में पाया गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और अधिकारियों ने उत्तर पुस्तिकाओं को चौबीसों घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरों के तहत लोहे के डिब्बों में रखने जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए।इसलिए, यह मानना उचित और उचित है कि परीक्षा या इसकी निम्नलिखित प्रक्रियाओं का संचालन करते समय कोई भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण अभ्यास नहीं किया गया था।

जी.

रीःमुद्दा **II**

17. यह देखते हुए कि अंकन सख्त था लेकिन भेदभावपूर्ण नहीं था, कई परीक्षकों और समय की कमी के कारण होने वाली भिन्नता को दूर करने के लिए अंकों को कम करने का उपाय ही एकमात्र प्रभावी, न्यायसंगत और प्रभावी समाधान है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है और सही है

एच.

ताकि आर. टी. आई. के अनुसार अनुग्रह चिह्नों को नियंत्रित करने वाले कोई नियम न हों।उन्होंने सुझाव दिया है कि इस मामले में स्केलिंग या मॉडरेशन जैसी कोई भी उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीक अपनाई जा सकती है, जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए और यूपी लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा न्यायिक भर्तियों के लिए किया जाता है।

18. संजय सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने स्केलिंग विधि की उपयुक्तता पर गहराई से विचार किया, लेकिन न्यायिक परीक्षाओं के लिए इसे निम्नानुसार देखते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दियाः

"24. न्यायिक सेवा परीक्षा में**,** उम्मीदवारों को सभी पाँच विषयों के संबंध में परीक्षा देने की आवश्यकता थी और उम्मीदवारों के पास विषयों के संबंध में कोई विकल्प नहीं था।ऐसी स्थिति में**,** संयम प्रतीत होता है

ग

एक आदर्श समाधान।लेकिन ऐसी परीक्षाएँ होती हैं जिनमें एक प्रतिस्पर्धी स्थिति होती है जहाँ उम्मीदवारों के पास विभिन्न प्रकार के विषम विषयों में से एक या कुछ का चयन करने का विकल्प होता है और विभिन्न विकल्प लेने वाले छात्रों की संख्या भी भिन्न होती है और ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में एक सामान्य योग्यता सूची तैयार करना आवश्यक हो जाता है।मान लीजिए कि कुछ उम्मीदवार गणित को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं और कुछ अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय के रूप में लेते हैं।यह अच्छी तरह से माना जाता है कि गणित में 100 में से 70 के अंकों का मतलब अंग्रेजी में 100 में से 70 के बराबर नहीं है।अंग्रेजी में 100

में से 70 एक उत्कृष्ट छात्र को इंगित कर सकते हैं जबकि गणित में 100 में से 70 केवल एक औसत छात्र को इंगित कर सकते हैं।कुछ वैकल्पिक विषय दूसरों की तुलना में बहुत आसान हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप समान रूप से सक्षम छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों में व्यापक असमानता होती है।ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने आसान विषयों का विकल्प चुना है, वे मुश्किल विषयों का विकल्प चुनने वालों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं।एक और संभावना है।कुछ वैकल्पिक विषयों के संबंध में पेपर-सेटर ऐसे प्रश्न निर्धारित कर सकते हैं जो अन्य विषयों में कुछ पेपर-सेटर की तुलना में उत्तर देने में अपेक्षाकृत आसान हैं जो कठिन प्रश्न निर्धारित करते हैं जिनका उत्तर देना मुश्किल होता है।यह तब हो सकता है जब उदाहरण के लिए, सिविल सेवा परीक्षा में, जहां भौतिकी और रसायन विज्ञान वैकल्पिक पेपर हैं, परीक्षक 'ए' डिग्री स्तर के लिए उपयुक्त भौतिकी में एक पेपर सेट करता है और परीक्षक 'बी' मैट्रिक स्तर के लिए उपयुक्त रसायन विज्ञान में एक पेपर सेट करता है।इन विशिष्टताओं को देखते हुए ए की आवश्यकता है।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

63

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

मूल्यांकन या मूल्यांकन को एक सामान्य पैमाने पर लाना ताकि विभिन्न विषयों को चुनने वाले उम्मीदवारों की योग्यता का पता लगाया जा सके।द मॉडरेशन

पहले के पैरा में संदर्भित प्रक्रिया केवल परीक्षक परिवर्तनशीलता की समस्या का समाधान करेगी**,** जहां परीक्षक कई हैं**,** लेकिन उत्तर**-**लिपियों का मूल्यांकन एक के संबंध में है।

विषय।मॉडरेशन कोई जवाब नहीं है जहां समस्या कई विषयों में अंतर योग्यता खोजने की है, यानी जहां उम्मीदवार विभिन्न विषयों में परीक्षा देते हैं।विभिन्न विषयों में अंतर योग्यता की समस्या को हल करने के लिए, सांख्यिकीय विशेषज्ञों ने स्केलिंग के रूप में जानी जाने वाली एक विधि विकसित की है, जो कि स्केल किए गए अंकों का निर्माण है।"

ग

[जोर दिया गया**]**

19. इस न्यायालय ने इस प्रकार न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए स्केलिंग और मॉडरेशन की व्यवहार्यता पर विचार किया और कहा कि स्केलिंग का उपयोग केवल तभी उचित है जब उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विषयों के बीच अंतर हो।यह उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां विषय समान होते हैं।इसके अलावा, मध्यस्थता एक अधिक व्यवहार्य तकनीक है ताकि परीक्षक परिवर्तनशीलता के प्रभाव को बाहर किया जा सके।संजय सिंह मामले (ऊपर) में, यह

डी.

अदालत ने कहा कि एक सख्त परीक्षक द्वारा **"**कम मूल्यांकन**"** और एक उदार परीक्षक द्वारा **"**बढ़े हुए मूल्यांकन**"** होते हैं।इसे **"**परीक्षक परिवर्तनशीलता**"** या **"**बाज**-**कबूतर प्रभाव**"** के रूप में जाना जाता है**. [**पी**]** संयम का क्रम काफी एकरूपता और स्थिरता लाएगा।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल्यांकन में पूर्ण एकरूपता या निरंतरता प्राप्त करना असंभव है जहां कई परीक्षक हैं और प्रयास केवल अधिकतम प्राप्त करने के लिए है

ई.

एकरूपता।" (पैरा 23) जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, वर्तमान मामले में कोई परीक्षक परिवर्तनशीलता नहीं थी, लेकिन अंकन सख्त था, यही कारण है कि हमारा विचार है कि संयम के विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए और इसे लागू किया जाना चाहिए।

च

20. हम यह भी देख सकते हैं कि संयम अंकों के जोड़ (सख्त अंकन के मामले में) और/या अंकों की कटौती (के मामले में) से हो सकता है।

जी.

उदार अंकन)।तानिया मलिक बनाम। दिल्ली के महापंजीयक

उच्च न्यायालय में 7,100 पदों का विज्ञापन दिया गया था और केवल 64 उम्मीदवार वाइवा वॉस में उपस्थित होने के लिए मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके थे।परीक्षा प्रक्रिया की चुनौती पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि संयम इस कारण से लागू नहीं किया जा सकता है किः

एच.

7 (2018) 14 एस. सी. सी 129

64

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

"संजय सिंह (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने जहां एक ही विषय के कई परीक्षक हैं, वहां उचित होने के लिए संयम निर्धारित किया है।यह भी देखा गया है कि जहां उम्मीदवारों की संख्या सीमित है और केवल एक परीक्षक मूल्यांकन करेगा, यह माना जाना चाहिए कि मूल्यांकन में एकरूपता होगी।यही वह जगह है जहाँ कई परीक्षक एक ही विषय का मूल्यांकन करते हैं। औसत अंकों और दिए गए अंकों की सीमा में अंतर होता है।एक 'बाज-कबूतर' प्रभाव होता है।कुछ परीक्षक उदार होते हैं और वे अधिक अंक प्रदान करते हैं; कुछ परीक्षक सख्त होते हैं और वे कम अंक देते हैं, इसे नियंत्रित किया जा सकता है।कठोरता और उदारता के स्तर में भिन्नता हो सकती है।यह व्यक्तिपरकता या परिवर्तनशीलता को दूर करने के लिए है कि संयम का प्रावधान अपनाया जाता है।तत्काल मामले में यह स्थिति नहीं है, इसलिए, संजय सिंह (ऊपर) में निर्णय याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किए गए संयम की याचिका को नकारता है।"

ग

21. तानिया मलिक का मामला (ऊपर) अलग है क्योंकि तत्काल मामले में यह पाया गया है कि सख्त अंकन ने उम्मीदवारों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया है और उनमें से केवल 0.702% 107 रिक्तियों के मुकाबले अर्हता प्राप्त कर सकते हैं।उम्मीदवार पिछले पांच वर्षों से परेशान हैं।इसलिए, पूर्ण न्याय करना और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करना और इसके परिणामस्वरूप उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक प्रदान करना अपरिहार्य है ताकि अधिक से अधिक उम्मीदवार, जो अन्यथा कम मेधावी न हों, उन्हें मौखिक रूप से उपस्थित होने का अवसर मिले।सवाल यह है कि कितने अनुग्रह अंक दिए जाने चाहिए और किन मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

22. न्यायमूर्ति सीकरी ने अपनी संक्षिप्त लेकिन विद्वान लेखक रिपोर्ट में अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए तीन विकल्पों का सुझाव दिया है; पहला वैकल्पिक नागरिक कानून-I में 20 अंक प्रदान कर रहा है; दूसरा वैकल्पिक नागरिक कानून-I में 20 अंक और नागरिक कानून-II में 10 अंक प्रदान कर रहा है; और तीसरा वैकल्पिक कुल मिलाकर 35 अंक प्रदान कर रहा है।दूसरी

ओर, याचिकाकर्ताओं ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 50 अनुग्रह अंक देने का आग्रह किया है कि अधिक उम्मीदवारों को 107 रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति सीकरी की रिपोर्ट को देखने के बाद, इस संबंध में, हम रिपोर्ट के वैकल्पिक II को अपनाना उचित समझते हैं, क्योंकि सिविल लॉ-I और सिविल लॉ-II दोनों में अंकन सख्त था।सिविल लॉ-II का अंकन केवल मामूली रूप से सख्त था।इस प्रकार सिविल लॉ-II के पेपर में प्रत्येक उम्मीदवार को 10 अंक और सिविल लॉ-I में 20 अंक देकर समानता को अच्छी तरह से संतुलित किया जा सकता है। 50 अनुग्रह अंक जोड़ने के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना ए है

च

जी.

एच.

65

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ ए में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

संभव नहीं पाया गया, क्योंकि संयम भी उचित दिखना चाहिए।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि उच्च न्यायालय के लिए सभी रिक्त पदों को भरना अनिवार्य नहीं है, भले ही उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध न हों।

याचिकाकर्ता 50 अनुग्रह अंकों के मॉडरेशन की मांग के लिए कोई अच्छी तरह से स्थापित कारण बताने में विफल रहे हैं, केवल इस आशंका पर कि लिखित परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को भी वाइवा-वॉस में बहुत कम अंक दिए गए थे और समिति केवल 8 से 18 अंक दे रही है, और इसलिए वे भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर पाएंगे।

23. सबसे पहले, हम कुछ पदों के लिए चयन प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग के रूप में वाइवा-वॉयस की आवश्यकता पर बहुत संक्षेप में जोर दे सकते हैं।इस न्यायालय में

ग

लीला धर बनाम राजस्थान राज्य **8** ने कहा कि

“6. ... [टी] लिखित परीक्षा व्यक्ति की बुद्धि का आकलन करती है और साक्षात्कार परीक्षा व्यक्ति की स्वयं की होती है और एक उचित चयन के लिए "दोनों की मुलाकात होगी"। [I] उन सेवाओं के मामले में जिनमें भर्ती अनिवार्य रूप से परिपक्व व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से की जानी चाहिए, साक्षात्कार परीक्षा ही एकमात्र तरीका हो सकता है, बशर्ते बुनियादी और आवश्यक शैक्षणिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। "इस प्रकार, चयन प्रक्रिया में वाइवा-वॉस और लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) दोनों का अपना महत्व होता है और यह साक्षात्कार पैनल को तय करना होता है कि साक्षात्कार में उसके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को कितने अंक दिए जाएं।दूसरा, चयन समिति का गठन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का एकमात्र विशेषाधिकार है और इस न्यायालय को उस मुद्दे में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है जो मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है।

डी.

ई.

च

रीःअंक **III**

24. स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन के लिए याचिकाकर्ताओं की वैकल्पिक प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है।पहला कारण यह है कि ये 107 पद पहले से ही काफी लंबे समय से खाली पड़े हैं और पुनर्मूल्यांकन से इसमें और देरी होगी।दूसरा,

न्यायमूर्ति सीकरी ने अनुग्रह अंक देने की सिफारिश करने से पहले तथ्य की स्थिति की पूरी तरह से जांच की है।तीसरा, भर्ती नियमों में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है और ऐसा कोई भी निर्देश इसके विपरीत होगा -

जी.

8 (1981) 4 एससीसी 159

एच.

66 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

एच. पी. लोक सेवा आयोग बनाम मुकेश में इस न्यायालय का अधिदेश

ठाकुर 9, यह निर्धारित करते हुए कि क़ानून या वैधानिक नियमों/विनियमों के तहत किसी भी प्रावधान के अभाव में, न्यायालयों को आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन का निर्देश नहीं देना चाहिए।

25. उपरोक्त दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया है

प्रमोद कुमार श्रीवास्तव बनाम बिहार लोक सेवा आयोग **10**

निम्नलिखित रूप में ध्यान दें:"7. ... आयोग के प्रासंगिक नियमों के तहत, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कोई उम्मीदवार अपनी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए पूछने का हकदार हो।जांच के लिए केवल एक प्रावधान है जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को यह जांचने के उद्देश्य से देखा जाता है कि क्या किसी उम्मीदवार द्वारा दिए गए सभी उत्तरों की जांच की गई है और क्या प्रत्येक प्रश्न के अंकों के योग में कोई गलती हुई है और उन्हें उत्तर पुस्तिका के पहले कवर पेज पर सही ढंग से नोट किया गया है।इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि जांच के बाद अपीलार्थी को दिए गए अंकों में कोई गलती नहीं पाई गई

ग

डी.

विज्ञान का पेपर।संबंधित नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी भी प्रावधान के अभाव में, परीक्षा में किसी भी उम्मीदवार को अपने अंकों के पुनर्मूल्यांकन का दावा करने या पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

[जोर दिया गया] "

ई.

26. याचिकाकर्ताओं ने सेंटर फॉर पब्लिक के फैसले पर भरोसा किया है

ब्याज याचिका बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय के महापंजीयक **11** से

एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए उनकी याचिका की पुष्टि करें।हालाँकि, उस मामले में भी यह माना गया था कि "यदि उपयुक्त हो तो

उम्मीदवार नहीं पाए जाते हैं, नियोक्ता भरने के लिए बाध्य नहीं है

च

पद." पुनर्मूल्यांकन के निर्देश केवल एक विशेष मामले के रूप में दिए गए थे।

रीःमुद्दा **IV**

27. जहां तक याचिकाकर्ताओं की इस दलील का संबंध है कि वाइवा-वॉस आयोजित करने से पहले मुख्य परीक्षा के अंकों का खुलासा किया जाना चाहिए, हमारा मानना है कि इस तरह की प्रथा वांछित पारदर्शिता को कम नहीं कर सकती है, बल्कि

पक्षपात या पक्षपात की संभावना की आलोचना को आमंत्रित करेगी।इस संबंध में निर्धारित किए जाने वाले व्यापक सिद्धांतों को विभिन्न चयनों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पदों के चयन को ध्यान में रखते हुए देखा जाना चाहिए।

जी.

9 (2010) 6 एससीसी 759 10 (2004) 6 एससीसी 714 11 (2017) 11 एससीसी 456 ए

एच.

67

प्रणव वर्मा बनाम चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का पंजीयक जनरल

इस तरह के स्व-विकसित मानदंडों के लिए अधिकारियों को केवल न्यायिक सेवाओं के लिए पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है।यदि साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य पहले से ही लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंकों के बारे में जानते हैं, तो वे व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से अंतिम परिणाम को ऐसे उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में झुका सकते हैं।इस प्रकार, सुझाए गए उपाय से पक्षपात पैदा होने की संभावना है जो वाइवा-वॉस में एक उम्मीदवार के निष्पक्ष मूल्यांकन को प्रभावित करेगा।इस संबंध में याचिकाकर्ताओं की याचिका की स्वीकृति भी अशोक कुमार मामले में इस न्यायालय के आधिकारिक फैसले के विपरीत होगी।

यादव और अन्य बनाम हरियाणा राज्य **12.**लिखित परीक्षा की तरह

एक उम्मीदवार के ज्ञान और बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करता है, साक्षात्कार का उद्देश्य उनके समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करना है जो एक न्यायिक पद धारण करने के लिए अनिवार्य हैं।इसलिए, साक्षात्कारकर्ताओं के मन में पूर्वाग्रह को बढ़ावा देने वाले किसी भी उपाय को समाप्त किया जाना चाहिए।28. ऊपर बताए गए कारणों से, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ आंशिक रूप से इन रिट याचिकाओं की अनुमति देते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

(i) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को अपने महापंजीयक के माध्यम से 2019 की परीक्षा के सभी उम्मीदवारों को सिविल लॉ-I के पेपर में 20 अनुग्रह अंक और सिविल लॉ-II के पेपर में 10 अनुग्रह अंक देने और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की मुख्य (लिखित) परीक्षा के नए परिणाम दो सप्ताह के भीतर तैयार करने और उसके बाद चार सप्ताह के भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

डी.

ई.

((ii) पूरी चयन प्रक्रिया 15 फरवरी, 2020 से पहले पूरी की जाएगी।

(iii) खाली पड़े पदों के साथ-साथ रिक्तियां जो इस बीच हुई हैं और जो अगले छह महीनों के भीतर प्रत्याशित हैं, उन्हें जल्द से जल्द विज्ञापित किया जाए और मलिक मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार भरा जाए।

च

मजहर सुल्तान मामला (ऊपर)।

29. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा उपरोक्त आदेश के अनुसार किया जाता है।

जी.

निधि जैन

लेखन याचिकाओं की आंशिक रूप से अनुमति है।

12 (1985) 4 एससीसी 417

एच.